

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 340/2021

वादीया

1. रमजान खां पुत्र जवाहर खां उम्र 60 वर्ष जाति कायमखानी निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना हाल निवासी मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर राज0।

दायर दिनांक 20.12.2021

प्रतिवादीगण

1. समसु खां पुत्र जवाहर खां उम्र 67 वर्ष
2. अजमेरी खां पुत्र जवाहर खां उम्र 57 वर्ष
3. हबीब खां पुत्र जवाहर खां उम्र 54 वर्ष
4. फातमा पुत्री जवाहर खां उम्र 64 वर्ष
5. बरकती पुत्री जवाहर खां उम्र 61 वर्ष
6. बुलकेश पुत्री जवाहर खां उम्र 35 वर्ष
7. इलायची बैवा जवाहर खां उम्र 91 वर्ष (फौत) समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर राज.
8. जमाल खां पुत्र समदर खां उम्र 62 वर्ष
9. चांद खां पुत्र समदर खां उम्र 53 वर्ष
10. मुराद खां पुत्र समदर खां उम्र 50 वर्ष
11. हाजरी बानु पुत्री समदर खां उम्र 70 वर्ष
12. जनती बानु पुत्री समदर खां उम्र 68 वर्ष
13. हमीदा पुत्री समदर खां उम्र 49 वर्ष
14. अनार बैवा समदर खां उम्र 92 वर्ष समस्त जाति कायमखानी निवासीगण शहरीबास लाडनूं जिला नागौर राज0
15. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो0 शरीफ शौरानी वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 28.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 14 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 801 रकबा 1.8800 हैक्टे0 वाकै सरहद सुद्रासन, पटवार हल्का सुद्रासन, भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र नूवा तहसील डीडवाना में स्थित है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 07 के पिता व पति जवाहर खां का नाम उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारीयों की भूल से नाम दर्ज नहीं हो सका, जबकि जवाहर खां, सेबदी खां व समदर खां तीनों सगे भाई थे तथा उक्त जमीन का कब्जा वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 के पास है व यही पक्षकार काशत काफी सालो से करते आये है।

यह है कि प्रतिवादी सं0 08 ता 14 को ग्राम मोरडूंगा जिला सीकर में स्थित भूमि उनके बन्ट में दे दी है, इसलिए उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में इनका हिस्सा बाकी नहीं रहा है इसलिए इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें।

यह है कि खातेदार सेबदी खां लाओलाद फौत हो चुके है, जिनके विधिक वारिसानों में से उक्त जमीन पर मात्र कब्जा वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 का ही है।



सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:-

यह है कि खेत खसरा सं० 801 रकबा 1.8800 हैक्टे० वाकै सरहद सुद्रसान में वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 03 के नाम खातेदारी घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।


यह है कि खातेदार सेबदी खां व समन्दर खां का नाम इस राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें तथा दौराने वाद अगर किसी भी पक्ष की खातेदारी हो भी जाती है तो प्रतिवादी सं० 04 ता 14 का नाम भी राजस्व रेकर्ड से हटया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 01 ता 06 का इकबालिया जवाब पेश हुआ जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 08 ता 14 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।


पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीया डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं० 801 रकबा 1.8800 हैक्टे० वाकै सरहद सुद्रसान में वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 03 के नाम खातेदारी घोषित किया की जाती है। सेबदी खां व समन्दर खां प्रतिवादी सं० 04 ता 14 का नाम भी राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 स (फार्तिकयमीणा) डर
 डीडवाना (R.A.S. नागौर)
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


 स (फार्तिकयमीणा) डर
 डीडवाना (R.A.S. नागौर)
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 340/2021

दायर दिनांक 20.12.2021

वादीया

1. रमजान खां पुत्र जवाहर खां
उम्र 60 वर्ष जाति
कायमखानी निवासी सुद्रासन,
तहसील डीडवाना हाल
निवासी मोरडूंगा तहसील
धोद जिला सीकर राज0।

प्रतिवादीगण

1. समसु खां पुत्र जवाहर खां उम्र 67 वर्ष
2. अजमेरी खां पुत्र जवाहर खां उम्र 57 वर्ष
3. हबीब खां पुत्र जवाहर खां उम्र 54 वर्ष
4. फातमा पुत्री जवाहर खां उम्र 64 वर्ष
5. बरकती पुत्री जवाहर खां उम्र 61 वर्ष
6. बुलकेश पुत्री जवाहर खां उम्र 35 वर्ष
7. इलायची बैवा जवाहर खां उम्र 91 वर्ष
(फौत) समस्त जाति कायमखानी
निवासीगण मोरडूंगा तहसील धोद जिला
सीकर राज.
8. जमाल खां पुत्र समदर खां उम्र 62 वर्ष
9. चांद खां पुत्र समदर खां उम्र 53 वर्ष
10. मुराद खां पुत्र समदर खां उम्र 50 वर्ष
11. हाजरी बानु पुत्री समदर खां उम्र 70 वर्ष
12. जनती बानु पुत्री समदर खां उम्र 68 वर्ष
13. हमीदा पुत्री समदर खां उम्र 49 वर्ष
14. अनार बैवा समदर खां उम्र 92 वर्ष समस्त
जाति कायमखानी निवासीगण शहरीबास
लाडनूं जिला नागौर राज0
15. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 28.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुददई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश
होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर
कर, खेत खसरा सं0 801 रकबा 1.8800 हैक्टे0 वाकै सरहद सुद्रासन में वादी व
प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के नाम खातेदारी घोषित किया की जाती है। सेबदी खां व
समन्दर खां प्रतिवादी सं0 04 ता 14 का नाम भी राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है।
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्ल मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.06.2022 को सरे इजलास
में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

